



नगर निगम, बीकानेर नये सीवर संयोजन हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहां सीवर संयोजन लेना है.....
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....
5. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल..... वर्गमीटर.....
6. भवन का निर्मित क्षेत्रफल..... वर्गमीटर.....
7. भवन/स्थान की श्रेणी आवास/राजकीय आवास गृह/कार्यालय/दुकान/अन्य.....
8. आवेदक की स्थिति : (मालिक/किरायेदार/कब्जेदार).....
9. क. आवेदक का स्थायी पता.....
- ख. आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता :.....
10. सीवर संयोजन का प्रयोजन : (घरेलु/व्यावसायिक/औद्योगिक जगह).....
11. प्रकार : (स्थाई/अस्थाई).....
12. सीवर संयोजन का साईज : (100 एम.एम./150 एम.एम.).....
13. जल संयोजन की खाता संख्या.....

मैं सीवरेज नियमों के संयोजन के संबंध में समय-समय पर प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जा रही हैं -

(1) जल संयोजन का गत माह का बिल

यह प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ पर सीवर संयोजन लिया जा रहा है उस परिसर का जल संयोजन स्वयं के नाम ही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सीवर संयोजन होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना :

1. आपका सीवर संयोजन जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी के बिल में सीवर टैक्स वसूली की राशि अंकित ना हो तो सीवर संयोजन की सूचना की पर्ची लेकर सम्बन्धित सहायक अभियंता से सम्पर्क करें।
 2. आपके यहां लगे मेनहोल की पूर्ण सुरक्षा रखें।
 3. यदि आपका बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की राशि प्राप्त करें।
 4. बिल सम्बन्धी शिकायत होने पर सहायक अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें। वहां पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
 5. सीवर लामें सीवर कनेक्शन होने के तहत यदि मैन हॉल अथवा सीवर लाईन में टूट-फूट होगी तो उसको सही अपने खर्चे पर कराऊंगा।
 6. सीवर कनेक्शन का स्टापलाईन पर रोकना उचित होगा। घर का समस्त पानी निकासी रसोई, बाथरूम व लैट्रिन का कनेक्शन सीवर में करें।
 7. सीवर कनेक्शन इन्जीनीयर द्वारा ही कराया जावे।
- मेरे द्वारा उपरोक्त सभी निर्देश एवं सूचना पढ़कर हस्ताक्षर किये गये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

सुन्दर स्वच्छ नगर हमारा - यही है संकल्प हमारा

घोषणा-पत्र

मैं.....
पुत्र/पत्नी श्री.....
निवासी.....

बीकानेर का हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त निवास स्थान का मैं स्वयं मालिक हूँ। यह कि आपके कार्यालय द्वारा एक सीवर कनेक्शन उक्त प्लॉट में करवाना चाहता/चाहती हूँ। इस आवेदन को प्रस्तुत किया जा रहा है :-

1. यह कि सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेनहोल अथवा सीवर या, लाईन में टूट-फूट होगी तो उसको अपने स्वयं के खर्चे से सही करवाउंगा/करवाउंगी। या निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी किये गये डिमाण्ड के अनुसार निगम के कोष में राशि जमा कराउंगा/कराउंगी।
2. यह कि घर का समस्त पानी निकास, जैसे रसोई, स्नानघर, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रेप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर, सरकारी मेन होल/सरकारी प्रोपर्टी चैम्बर से मिलान कर डिस्पोजल किया जायेगा।
3. यह कि आवेदन प्रपत्र में के नियम का पालन करूंगा/करूंगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स सम्बन्ध में जो भी नियम/निर्देश होंगे मेरे द्वारा पालन किये जायेंगे।
4. यह कि मैं सीवर कनेक्शन में सहभागिता लागू होने व जमा नहीं करायी गई होने पर निर्देशानुसार कनेक्शन की राशि जमा कराने हेतु सहमत हूँ।
5. यह कि सीवर कनेक्शन की राशि जमा करने के उपरान्त 15 दिवस में प्लम्बर द्वारा सीवर कनेक्शन फिटिंग पूर्ण कराने का विहित प्रमाण पत्र कार्यालय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
6. यह कि मैं अपने घर की नाली को बंद नहीं करूंगा, इसे बरसाती पानी की निकासी हेतु चालू रखूंगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है व इसमें मेरे द्वारा अण्डरटेकिंग की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता